संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 10 जनवरी, 2018

विषय- भूगर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च, 2013 पर आधारित आकलन के अनुसार विकासखण्डों के वर्गीकरण की सूची का प्रेषण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में भूजल संसाधनों के विकासखण्डवार वर्गीकरण सूची आकलन वर्ष 2008-09 के आधार पर शासनादेश संख्या-486/62-1-2012-04आर/2009, दिनांक 15-05-2012 एवं दिनांक 31 मार्च, 2011 पर आधारित आकलन के आधार पर शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आर/2009, दिनांक 13-10-2014 द्वारा निर्गत की गयी है। इस क्रम में भूजल आकलन समिति-1997 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूगर्भ जल विभाग द्वारा 31 मार्च, 2013 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भूजल संसाधनों का नवीन आकलन किया गया है, जिसपर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। रिपोर्ट में प्रदेश में भूजल संसाधनों की विकासखण्डवार उपलब्धता एवं दोहन की स्थिति के साथ अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल व सुरक्षित श्रेणियों में वर्गीकृत विकासखण्डों की नवीन सूची सम्मिलित है।

2- उक्त अध्ययन रिपोर्ट में प्रदेश के 75 जनपदों के 820 विकासखण्डों में भूजल संसाधनों का आकलन किया गया है, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा उक्त समस्त विकासखण्डों में से 113 विकासखण्ड अतिदोहित, 59 विकासखण्ड क्रिटिकल, 45 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल तथा शेष 603 विकासखण्ड सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं । वर्तमान आकलन के अनुसार कुल 172 विकासखण्ड संकटग्रस्त स्थिति में है, जो चिन्ता का विषय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत बोरिंग/नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबन्ध:

(**i**) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशो के प्राविधानो के अनुसार नवीन भूजल संसाधन आकलन (मार्च, 2013 पर आधारित) में वर्गीकृत किये गये 113 अतिदोहित एवं 59 क्रिटिकल विकासखण्डों यानि कुल 172 विकासखण्डों (संलग्न-1) जो प्रदेश के 39 जनपदों में अवस्थित है, में लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा नि:शुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग, सामूहिक नलकूप योजना तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण पर इस शासनादेश की निर्गम तिथि से प्रतिबन्ध होगा।

(**ii**) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत इस सीमा तक छूट रहेगी कि उक्त 172 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में ऐसे राजकीय नलकूप, जो निष्क्रिय/असफल हो गये हैं, उन नलकूपों के स्थान पर सम्बन्धित नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सतत रूप से बनाये रखने हेतु नलकूप का निर्माण (रिबोर) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अनुमोदनोपरान्त कराया जा सकता है।

4- निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण:

प्रदेश के सभी विकासखण्डों में निजी नलकूपों के उर्जीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आर/2009, दिनांक 13-10-2014 के प्रस्तर-3 (ब) अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में कृषकों द्वारा अपने स्रोतों से निर्मित किये जाने वाले निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

5- कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित संगठनों को भी उक्त के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें । उक्त को गम्भीरता से लिए जाने की इसलिए आवश्यकता है, जिससे कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संरक्षण/प्रबन्धन की प्रभावी कार्यवाही द्वारा भूजल की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।

6- उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए निदेशक, भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट: **www.upgwd.in** तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, नवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ (दूरभाष: 0522-2287233, 2287068, फैक्स: 0522-2286471, ई-मेल: **upgwd.in@gmail.com** एवं उनके क्षेत्रीय खण्डीय कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-01/2018/45(1)/62-1-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन।

(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल परिषद, नई दिल्ली।

(5) मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।

(7) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद (उ0क्षे0), लखनऊ।

(8) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।

(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।